संख्याः 305 / xxxvi(1)/(एक)2008–135 / 2007

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2008

विषय– मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 1–2–2004 से संशोधित दरों पर विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 515 / एडमिन0ए0 / यू0एच0सी0 दिनांक 21 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करते हुये मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को शासनादेश संख्या– 217 / सात उ0न्या0–124 / 88 टी0सी0 दिनांक 15–3–1989 द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित अनुमन्य विशेष भत्ता की वर्तमान दरों को स्तम्भ 4 के अनुसार दिनांक 1–2–2004 से संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	अधिकारियों / कर्मचारियों का पदनाम	विशेष भत्ता की वर्तमान मासिक दर (रू0)	दिनांक 1–2–2004 से विशेष भत्ता की पुनरीक्षित मासिक दर (रू0)
1	मा0 उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी तथा इसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी (दिनांक 1–1–1996 के पूर्व वेतनमान रू0 2000–3500 के अधिकारी)	140.00	280.00

क्र0 सं0	अधिकारियों / कर्मचारियों का पदनाम	विशेष भत्ता की वर्तमान मासिक दर (रू0)	दिनांक 1–2–2004 से विशेष भत्ता की पुनरीक्षित मासिक दर (रू0)
2	मा0 उच्च न्यायालय के अनुभाग अधिकारी के वेतनमान (दिनांक 1–1–1996 के पूर्व वेतनमान रू0 2000–3500 से निम्न परन्तु समीक्षा अधिकारी के वेतनमान से उच्च वेतनमान वाले अधिकारी / कर्मचारी)	100.00	200.00
3	समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	90.00	180.00
4	सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (सहायक समीक्षा अधिकारी से उच्च किन्तु समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित होगें)	60.00	120.00
5	टंकक / नैत्यिक लिपिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (टंकक / नैत्यिक लिपिक से उच्च किन्तु सहायक समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित होंगे)	45.00	90.00
6	टंकक / नैत्यिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पद	30.00	60.00

2. उक्त शासनादेश संख्या– 217(4) / सा–उ0न्या0 दिनांक 15–3–1989 एवम् शासनादेश संख्या : 217 / सात–उ0न्या0–124 / 88 टी0सी0 दिनांक 15–3–1989 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

3. विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 999/xxvii(7)/2008 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्याः 305/xxxvi(1)/(एक)2007–944/06 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर बिल्डिंग माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन ।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,